

प्रेस नोट संख्या- 44

दिनांक 24.05.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“ऑपरेशन चक्रव्यूह” अभियान के तहत थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का 04 अदद सोलर पैनल प्लेट, 02 अदद बड़ी बैटरी, 01 घरेलू सिलेण्डर व 01 अदद पीतल का घण्टा बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे *“ऑपरेशन चक्रव्यूह”* अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.05.2026 को थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार 03 अभियुक्तों 01. शैलेन्द्र यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी पूरे कुमार शाह मजरे भीमी थाना अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष 02. आर्यन प्रताप पुत्र रामअचल गौतम निवासी भीमी थाना अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष 03. शिवप्रताप सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र स्व0 रामदास सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर छोटा थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त शैलेन्द्र यादव के कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं अभियुक्त आर्यन प्रताप के कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तों के पास से 04 अदद सोलर पैनल प्लेट, 02 अदद बड़ी बैटरी, 01 घरेलू सिलेण्डर व 01 अदद पीतल का घण्टा बरामद हुआ। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद 04 सोलर पैनल प्लेट के बारे में बताया कि उन लोगों ने सोलर पैनल दिनांक 14.12.2025 को सवन्गी नदी के पास किरन सिंह के ट्यूबवैल से चोरी किया था, व बरामद 02 अदद बैटरी व 01 घरेलू सिलेण्डर व 01 अदद पीतल का घण्टा के बारे में बताया कि ये सामान उन लोगों ने दिनांक 29.04.2026 को कम्पोजिट विद्यालय लहना से चोरी किया था। उक्त चोरियों के संबंध में थाना पीपरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर अभियोगों में धारा 317(2), 3(5) एवं 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दिखा न सके। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शैलेन्द्र यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी पूरे कुमार शाह मजरे भीमी थाना अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आर्यन प्रताप पुत्र रामअचल गौतम निवासी भीमी थाना अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।

3. शिवप्रताप सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र स्व० रामदास सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर छोटा थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष ।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
2. 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
3. चोरी का 04 अदद सोलर पैनल प्लेट (मु०अ०सं० 03/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित)
4. चोरी का 02 अदद बड़ी बैटरी, 01 घरेलू सिलेण्डर व 01 अदद पीतल का घण्टा (मु०अ०सं० 54/26 धारा 305,331(4) बीएनएस से संबंधित)
5. 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 36 जेड 4439 (207 एमवी एक्ट)

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु०अ०सं० 03/26 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 54/26 धारा 305,331(4),317(2),3(5) बीएनएस व व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अरुण कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. नि० रामचेत यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० अनिल कुमार यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
4. हे०का० मो० शकील थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
5. का० उदित यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
6. रि० का० अपूर्व तिवारी थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त शैलेन्द्र यादव उर्फ सचिन यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 148/22 धारा 379,411,413 भादवि थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 234/23 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 264/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
4. मु०अ०सं० 76/24 धारा 323,341,504,506 भादवि थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त शिव प्रताप सिंह उर्फ भोला सिंह का आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० 126/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।